



संदर्भ सं.राबैं.डीएफआईबीटी.प्रका/ 5572 – 5580 / डीएफआईबीटी-23/ 2020-21

22 जनवरी 2021

परिपत्र सं. 15 / डीएफआईबीटी – 04 / 2021

अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा (देना बैंक सहित),
कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक

महोदया / महोदय,

**ब्लॉक स्तर पर 80 वित्तीय साक्षरता केंद्रों
(सीएफएल) की स्थापना हेतु प्रायोगिक परियोजना
का विस्तार - निधि सहायता हेतु दिशानिर्देश**

उपर्युक्त विषय पर कृपया दिनांक 28 जून 2017 के हमारे परिपत्र सं.156/डीएफआईबीटी/ 2017 और उसके बाद जारी दिनांक 1 जुलाई 2019 के पत्र सं.1102-1110 तथा दिनांक 16 अप्रैल 2020 के पत्र सं.28/डीएफआईबीटी-23/ 2019-20 का अवलोकन करें जिनके माध्यम से उपर्युक्त परियोजना के लिए वित्तीय समावेशन निधि से सहायता हेतु अनुदेश जारी किए गए थे.

2. इस संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक ने '80 ब्लॉक सीएफएल परियोजना' के कार्यान्वयन की समय सीमा 30 नवंबर 2021 तक बढ़ा दी है. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस निर्णय की सूचना 28 सितंबर 2020 की उनकी ई-मेल के माध्यम से सभी बैंकों को दी गई है.

**Extension of pilot project on setting
up of 80 Centres of Financial
Literacy (CFLs) at Block level -
Guidelines for funding support**

Please refer to our circular No. 156/DFIBT/2017 dated 28 June 2017 & subsequent guidelines issued vide letter no.1102 -1110 dated 01 July 2019 and letter no.28/ DFIBT -23 /2019-20 dated 16 April 2020 conveying instructions for providing support under Financial Inclusion Fund for the captioned project.

2. In this connection, RBI has extended the implementation timeline of the 80-block CFL pilot project, up to 30 November 2021. This decision has been communicated to banks by RBI vide their email dated 28 September 2020.

1

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development

वित्तीय समावेशन और बैंकिंग प्रौद्योगिकी विभाग

प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. • टेलि.: +91 22 2653 0024 • फैक्स : +91 22 2653 0150 • ई-मेल : dfibt@nabard.org

Department of Financial Inclusion & Banking Technology

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051. • Tel.: +91 22 2653 0024 • Fax : +91 22 2653 0150 • E-mail : dfibt@nabard.org

3. वित्तीय समावेशन निधि के 27वें सलाहकार बोर्ड ने इस बढ़ाई हुई अवधि के लिए वित्तीय समावेशन निधि से रु.3.68 करोड़ की अतिरिक्त सहायता मंजूर की है जो उन्हीं निबंधन और शर्तों पर दी जाएगी जो योजना के प्रारंभिक 3 वर्ष हेतु लागू थीं।

4. जैसा कि आप जानते हैं, प्रारंभिक '80 ब्लॉक सीएफएल परियोजना' सितंबर 2020 से फरवरी 2021 के बीच विभिन्न तिथियों पर समाप्त होनी थी। अब, चूंकि सीएफएल परियोजना की समय सीमा 30 नवंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है, इसलिए बैंक 12 माह तक की विस्तारित अवधि के लिए अधिकतम रु.4.00 लाख, तथा 14 माह की विस्तारित अवधि के लिए अधिकतम रु.4.60 लाख का अतिरिक्त पूंजीगत व्यय (यथानुपाती आधार पर) मंजूर करने पर विचार कर सकते हैं।

5. सभी बैंक कृपया नोट करें कि वित्तीय समावेशन निधि से पूंजीगत व्यय हेतु यह अतिरिक्त सहायता प्रतिपूर्ति आधार पर दी जाएगी।

6. बैंक प्रारंभिक 3 वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय हेतु मंजूर की गई रु.12 लाख की राशि खत्म हो जाने के बाद ही अतिरिक्त अवधि के लिए अतिरिक्त राशि अनुरोध कर सकते हैं।

3. The XXVII Advisory Board of FIF have approved an additional grant support of ₹3.68 crore from FIF, for the extended period on the same terms and conditions governing the initial 3-year project.

4. As you are aware, the initial 80-block CFL pilot project was to be closed on different dates falling between September 2020 to February 2021. Now, with the extension of timeline of CFL project upto 30 November, 2021, Banks may consider sanctioning additional OPEX expenditure (on pro-rata basis) with a maximum cap of ₹4.00 lakh for an extended period of 12 months and ₹4.60 lakh per CFL, for a period of 14 months.

5. Banks may please note that the additional support of OPEX expenditure from FIF will be on reimbursement basis.

6. The banks may request for additional amount for the extended period, only on exhaustion of the entire ₹12.00 lakh towards OPEX of the initial 3 year period.

<p>7. अनुरोध है कि कृपया अपने संबंधित कार्यालयों को सूचित करें कि वे तदनुसार अपने प्रतिपूर्ति के दावे हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजें.</p>	<p>7. We request that you may accordingly, advise your concerned offices to submit the claims for reimbursement to our Regional Offices for settlement.</p>
--	---

भवदीया



(अंजना लामा)

महाप्रबंधक